श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0, उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–29.10.2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे से उनके कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न सूची के अनुसार।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी।

सहायक उद्योग निदेशक, प्रभारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के द्वारा बताया गया लखीसराय जिला से जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसोपरान्त प्रस्ताव एवं पहले से अनुशंसित कलस्टर की समीक्षा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। उक्त प्रस्ताव, अनुशंसित कलस्टर की विवरणी एवं सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उस पर लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है :–

1. **कार्यावली संख्या–01 :–धीरा राईस मिल कलस्टर, लखीसराय:–** लखीसराय जिला स्तर पर दिनांक–09.06.2022 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के पत्रांक–287 दिनांक–23.06.2022 द्वारा मे0 लक्ष्मी धीरा राईस मिल प्रा0 लि0, हलसी उसना चावल मिल कलस्टर का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लखीसराय जिला में पूर्व से इस योजनान्तर्गत राईस मिल कलस्टर, रामगढ़ चौक, लखीसराय में स्थापित एवं संचालित है। अतएव इसके आस–पास पुनः राईस मिल कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण किया जाना व्यवहारिक नहीं है तथापि इस प्रस्ताव में पुनः आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु उपस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

समिति का निर्णय :–श्री रूपेश कुमार झा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के द्वारा बताया गया कि एस0पी0भी0 मेमर्स धीरा राईस मिल क्लस्टर के सभी सदस्य क्लस्टर से जुड़े नही है। एस0पी0भी0 से जुड़े सभी सदस्यों द्वारा राईस मिलिंग का कार्य नही किया जाता है। नए CFC की स्थापना की व्यवहारिकता भी प्रतीत नहीं होती है। अतः समिति द्वारा इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।

2. कार्यावली संख्या–02 :– दरभंगा, सहरसा, कटिहार मखाना कलस्टर।

A. **दरभंगा मखाना कलस्टर** :– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित उज्ज्वला जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0 को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रू0 198.66 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य करने का निदेश दिया गया था।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–26.11.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में

निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

B. **सहरसा मखाना कलस्टर** :– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित सहरसा जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0, कौशकी, रघुनंदन निवास, हटिया गाछी, वार्ड संख्या–32, सहरसा को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रूपये–233.91 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य का निदेश दिया गया था।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–26.11.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में श्री मुकेश कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा द्वारा यह बताया गया कि SPV से जुड़ी जीविका दीदीयाँ द्वारा मखाना उत्पाद से सम्बन्धित व्यवसाय का कार्य नहीं किया जा रहा है।

C. **कटिहार मखाना कलस्टर** :–दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित कटिहार जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0, मनीहारी रोड़, कटिहार को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रू0–249.89 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य करने का निदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–26.11.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

श्रीमती सोनाली शीतल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के द्वारा यह बताया गया कि SPV की 1100 दीदीयों में से कोई भी मखाना उत्पाद से सम्बन्धित व्यवसाय का कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री संगीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा यह बताया गया कि सहरसा एवं कटिहार मखाना कलस्टर के परियोजना लागत में बढ़ोतरी आवश्यक है। दरभंगा मखाना कलस्टर की परियोजना लागत यथावत रहेगी। जीविका द्वारा तीनो SPV के जमीन स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकि है। मखाना कलस्टर से जुड़ी जीविका दीदीयों को प्रशिक्षित कर मखाना उद्योग के लिए तैयार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में श्री संतोष कुमार निदेशक, कार्यक्रम कार्यन्वयन आयडा द्वारा यह जानकारी दी गयी कि सहरसा एवं कटिहार मखाना कलस्टर के परियोजना लागत में बढ़ोतरी

DPR से भिन्न कुछ मशीने जोड़ी गयी है। जिस कारण से परियोजना लागत में बढ़ोतरी हो रही है।

दरभंगा, सहरसा एवं कटिहार मखाना पर समिति का निर्णयः–

दरभंगा, सहरसा एवं कटिहार मखाना कलस्टर के परियोजना को स्वीकृत हुए एक वर्ष उपरान्त भी जीविका एवं आयडा द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त तीनो कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जा रही है।

समिति द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि जीविका एवं आयडा आपस में बैठक कर 10 दिनों के अंदर कलस्टरों के निबंधन, जमीन की उपलब्धता, परियोजना लागत की बढ़ोतरी आदि का निराकरण करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। जीविका के प्रतिनिधि श्री संगीत कुमार को यह भी निदेश दिया जाता है कि मखाना कलस्टर के SPV का डाटाबेस तैयार करेंगे कि कितनी जीविका दीदी SPV से जुड़ी है तथा मखाना उत्पाद का कार्य कर रही है। अगर जीविका एवं आयडा द्वारा ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो परियोजना को निरस्त कर दिया जायेगा। परियोजना निरस्त होने पर इसके जिम्मेदार श्री संतोष कुमार, निदेशक, कार्यक्रम कार्यान्वयन आयडा एवं श्री संगीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जीविका होगें। इस संदर्भ में C.E.O जीविका एवं M.D आयडा को इनके उपर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा, सहरसा एवं कटिहार को निदेश दिया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं DPM जीविका की एक कमिटि बनाकर इस सन्दर्भ में स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा, सहरसा एवं कटिहार DPM जीविका के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर परियोजना के व्यवहारिकता के बारे में भी उद्योग निदेशालय को अवगत करायेगें।

3. कार्यावली संख्या–03 :– बाँस उत्पाद हेतु कलस्टर मधेपुराः– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित वेणु शिल्प जीविका महिला उत्पाद समूह भटनी बाजार, पंचायत–विशुनपुर सुन्दर, प्रखंड–कुमारखंड में बाँस कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें कुल परियोजना लागत रू0 50.05 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार, पटना (जीविका) कार्य करेंगी तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य करने का निदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–26.11.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया है।

श्री भोला पासवान, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा द्वारा यह बताया गया कि बाँस उत्पाद कलस्टर में 30 जीविका दीदीयाँ जुड़ी है जो हाथ से बाँस से संबंधित उत्पाद का

कार्य करती है। बाँस से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन हेतु कलस्टर की सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण मनरेगा के भवन में किया जाना है।

समिति का निर्णय :– श्री भोला पासवान, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं DPM जीविका की एक कमिटि बनाकर इस सन्दर्भ में स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा, DPM जीविका, मधेपुरा के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर परियोजना के व्यवहारिकता के वारे में भी उद्योग निदेशालय को अवगत करायेंगे।

4. कार्यावली संख्या :–04 **:– बैग कलस्टर मुसहरी, मुजफ्फरपुर:–** मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत दिनांक–30.11.2022 को उद्योग निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा बैंग कलस्टर, मुजफ्फरपुर को इस योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें सम्यक विचारोपरान्त प्लांट एवं मशीनरी की खरीदारी बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन किये जाने का निदेश दिया गया।

ततपश्चात इस योजना अन्तर्गत बैंग कलस्टर, मुसहरी, मुजफ्फरपुर में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु बियाडा, पटना को कुल रू0–3,48,94,350/– (तीन करोड़ अड़तालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ पचास) मात्र का प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त करते हुए दिनांक–12.10.2023 को अपर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदन उपरान्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2399 दिनांक–17.10.2023 द्वारा बियाडा को उक्त राशि आवंटित की गयी।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा बियाडा से पूर्व आवंटित राशि रू0–3,48,94,350/– (तीन करोड़ अड़तालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ पचास) मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अतिरिक्त राशि रू0–9,08,351/– (नौ लाख आठ हजार तीन सौ इक्याबन रूपये) मात्र के भुगतान पर विचार किया जाएगा।

श्री विजय शंकर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर द्वारा यह बताया गया कि CFC के निर्माण, मशीन अधिष्ठापन के उपरान्त भी बियाडा द्वारा SPV तिरहुल महिला जीविका उत्पाद कम्पनी लि0 को सामान्य सुविधा केन्द्र हस्तांतरित नहीं की गयी है।

श्री संगीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जीविका के द्वारा यह बताया गया कि SPV में 42 जीविका समुह जुड़ी हुई है। सामान्य सुविधा केन्द्र कार्यरत है जिसमें जीविका दीदीयाँ उत्पादन कर रही है। CFC का संचालन High Sprit द्वारा किया जा रहा है।

समिति का निर्णय :–समिति द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि स्थापित बैंग कलस्टर के यूनिट उत्पादन एवं लाभप्रदयता के 01 साल का प्रगति प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाय। स्थापित CFC के वित्तीय व्यवहार्यता की प्रतिवेदन भी प्रेषित करने का निदेश दिया जाता है। CFC के संचालन में High Sprit की क्या भूमिका है

इसे भी स्पष्ट करें। High Sprit द्वारा CFC का संचालन एवं रख–रखाव किस कार्यादेश से किया जा रहा है इससे उद्योग निदेशालय अवगत कराया जाय।

श्री विजय शंकर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को यह निदेश दिया जाता है कि CFC का जाँच कलस्टर के दिशा–निर्देश के अनुसार एवं अंतिम स्मार देकर बियाडा से उपयोगित प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराये।

<u>5. कार्यावली संख्या :–05</u> :– PVC एवं रबर शीट कलस्टर, वैशाली।

समिति का निर्णय :– दिनांक–13.11.2023 को राज्य स्तरीय समिति द्वारा PVC एवं रबर शीट कलस्टर में प्रारंभिक तौर पर Mentoring Agency, CIPET, Hajipur को बनाया गया। कलस्टर हेतु कुल रू0 2,04,14,000/– (दो करोड़ चार लाख चौदह हजार रूपये) मशीन की खरीदारी निविदा के माध्यम से करने का निदेश दिया। साथ ही निविदा SPV द्वारा Float किया जायेगा, जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली जिला पदाधिकारी, वैशाली से समन्वय स्थापित कर जिला पदाधिकारियों को समाहित करते हुए क्रय समिति का गठन करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक–11.07.2025 को उप विकास आयुक्त, वैशाली की अध्यक्षता में इस योजनान्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी क्रय करने हेतु निविदा के माध्यम से M/S Shiv Engineering and works, punjab को क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया।

SPV द्वारा चयनित निविदा दाता को प्लांट एवं मशीनरी क्रय के लिए प्रथम किस्त की राशि भुगतान हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

श्री भावेश तिवारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली द्वारा यह बताया गया कि SPV में 24 सदस्य है जो कि बियाडा के क्षेत्र में चप्पल, जूता के निर्माण कार्य से जुड़े है। सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण हेतु बियाडा द्वारा आवंटित भूमि पर किया जाना है। प्लांट एवं मशीनरीज के क्रय हेतु निविदा कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्यादेश निर्गत करने की प्रक्रिया में है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को यह निदेश दिया जाता है कि SPV के खाते की जाँच कर प्रथम किस्त की माँग उद्योग निदेशालय से की जा सकती है।

<u>6. कार्यावली संख्या :–06</u> :– मेटल क्राफ्ट कलस्टर परेव, बिहटा :– दिनांक–17.11.2023 को निदेशक महोदय के अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा मेटल क्राफ्ट कलस्टर परेव, बिहटा में सामान्य सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण एवं मशीनरी की खरीदारी हेतु राज्य स्तरीय समिति ने आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को अधिकृत करने का निर्णय लिया। उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक–18.10.2023 को अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक–29.01.2024 को रू0 3.5 करोड़ एवं दिनांक–12.04.2024 को रू0 4.00 करोड़ आयडा, बिहार, पटना को हस्तानान्तरित किया जा चुका है।

जीविका दीदीयों द्वारा कुछ मशीनों को लगाने के संबंध में असहमति हेतु उद्योग निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में उद्योग निदेशक द्वारा विभागीय

पत्रांक–1749 दिनांक–18.07.2025 एवं पत्रांक–2669 दिनांक–.28.10.20024 द्वारा आयडा, बिहार, पटना को सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण पूरी करने एवं अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

अतः आयडा से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मशीन अधिष्ठापन पर विचार किये जाने पर निर्णय लिया गया।

श्री संतोष कुमार, निदेशक कार्यक्रम कार्यान्वयन आयडा के द्वारा यह बताया गया कि CFC का 90 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है तथा अगले महीने CFC, SPV को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

समिति का निर्णय :– समिति के द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि श्रीमती नीता वर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, आयडा एवं जीविका संयुक्त स्थल निरीक्षण कर परियोजना में आने वाली समस्या का समाधान कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

➤ पूर्व में स्थापित कलस्टरो की अद्यतन स्थिति :–

1. **राईस मिल कलस्टर, लखीसराय** –दिनांक–05.02.2016 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रू0 914.94 लाख पर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं PMA के रूप में IL&FS-CDI, Patna कर चयन किया गया। विभागीय ज्ञापांक–4520, दिनांक–21.12.2016 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रु0 82.344 लाख, एस0पी0भी0 को भेजा गया। दिनांक–04.09.2018 को राज्य स्तरीय समिति में प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण--पत्र के आधार पर रु0 68.09 लाख के उपयोगिता को अनुमोदित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। विभागीय ज्ञापांक–3536, दिनांक–11.10.2018 को द्वितीय किस्त के रूप में रु0 329.378 लाख, एस0पी0भी0 को भेज दिया गया है। जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के पत्रांक–162, दिनांक–25.09.2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक में रु0 404.20 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र को CA द्वारा सत्यापित कर उद्योग निदेशालय को भेजा गया। दिनांक–02.12.2019 की राज्य स्तरीय बैठक में तृतीय किस्त रु0 329.378 को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विभागीय ज्ञापांक–5079, दिनांक–20.12.2019 को तृतीय किस्त के रूप में रु0 329.378 लाख दिनांक– 14.12.2021 को SPV को रु0 82.344 लाख की स्वीकृति एवं कुल रु0 741.10 लाख के उपयोगिता को पारित करते हुए चतुर्थ किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विभागीय ज्ञापांक–906, दिनांक–09.03.2022 को रु0 82.344 लाख अर्थात कुल रु0 823.45 लाख स्वीकृत कर SPV को भेजा गया। क्लस्टर में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित एवं कार्यरत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा श्री रूपेश कुमार झा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को यह निदेश दिया जाता है कि राईस मिल कलस्टर, लखीसराय का भौतिक निरिक्षण कर सामान्य सुविधा केन्द्र के उत्पादन की स्थिति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में एक प्रतिवेदन तैयार कर उद्योग निदेशालय को 10 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेगें।

2. **झूला कलस्टर, कन्हैयागंज, नालंदा** –दिनांक–02.09.2015 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में रु0 341.29 लाख की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी की कलस्टर में

कम–से–कम 25 ईकाईया कार्यरत हो। PMA के रूप में Grant Thorten India का चयन किया गया।

विभागीय ज्ञापांक– 645, दिनांक– 15.02.2016 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रु0 30.31 लाख प्रदान की गयी। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा के पत्रांक–818 दिनांक– 26.10.2016 द्वारा रु0 30.71 लाख की राशि का मुल अभिश्रव विभाग को उपलब्ध कराया गया।

विभागीय ज्ञापांक–409, दिनांक–16.02.2017 के द्वारा द्वितीय किस्त की राशि रु0 122.864 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनांक– 16.08.17 को राज्य स्तरीय समिति द्वारा संशोधित प्रयोजना लागत रू0 401.29 लाख पर स्वीकृति प्रदान की गयी। पत्रांक–735, दिनांक–01.12.2017 के द्वारा विभाग से विमुक्त राशि रू0 122.864 लाख राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं मुल अभिश्रव उपलब्ध कराया गया। विभागीय ज्ञापांक–987, दिनाक–18.03.2018 को तृतीय किस्त के रूप में रू0 171.46 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। संशोधित राशि रू0 456.62 लाख को राज्यस्तरीय समिति द्वारा दिनांक–04.07.2018 कार्यवाही ज्ञापांक–2379, दिनांक–09.07.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त के अंतरत राशि रू0 44.827 लाख विभागीय ज्ञापांक–2596, दिनांक–19.07.2021 द्वारा एस0पी0भी0 को भेजा गया। जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा के पत्रांक–141, दिनांक–07.03.2018 द्वारा राशि. रू0 100.412 लाख एवं पत्रांक–779, दिनांक–27.12.2018 द्वारा राशि रू0 218.331 लाख का उपयोगता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

विभागीय पत्रांक–1489 दिनांक–20.06.2025 द्वारा क्लस्टर का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा द्वारा यह बताया गया कि प्रथम फेज मशीन कार्यरत है एवं ट्रांसफर्मर खरीदने हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री सचिन कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा द्वारा यह बताया गया है कि प्रथम फेज का मशीन कार्यरत है, रौलिंग मिल का मेन फाउनडेशन पूर्ण हो गया है। सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु मशीन की खरीदारी 2021, 2022 एवं 2023 में की गयी। कलस्टर में बिजली कनेक्शन लेने हेतु बिजली विभाग द्वारा 25 लाख रूपये की सुरक्षित जमा राशि की माँग की जा रही है। 1000 KVA ट्रांसफर्मर खरीदने हेतु दो वार निविदा का प्रकाशन किया गया परंतु कोई भी निविदादाता निविदा में शामिल नहीं हुए।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा श्री सचिन कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को यह निदेश दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि क्या SPV कार्यरत है या कोई सदस्य नया जुड़ा है या कोई सदस्य हटा है तथा आवंटित राशि की कितनी उपयोगिता जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त हुई है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा SPV के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करेंगे की SPV क्या चाहता है तथा सामान्य सुविधा केन्द्र में अधिष्ठापित मशीन की क्या स्थिति है। महाप्रबंधक कलस्टर का भौतिक निरीक्षण कर सामान्य सुविधा केन्द्र की व्यवहारिकता एवं कलस्टर के संचालन की समस्या के समाधान से संबंधित स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिवेदन के साथ 15 दिनों के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेगे।

3. **सिलाव खाजा कलस्टर** – राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही ज्ञापांक–3624, दिनांक–09.09.2016 द्वारा परियोजना लागत राशि रू0 114.07 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पी0एम0ए0 के रूप में IL&FS CDI, Patna का चयन किया गया।

ज्ञापांक–711, दिनांक–10.03.2017 के द्वारा राशि रू0 10.27 लाख एवं ज्ञापांक–833, दिनांक–27.02.2018 द्वारा राशि रू0 41.06 लाख कुल राशि रू0 51.33 लाख सिलाव खाजा कलस्टर को उपलब्ध कराया गया।

दिनांक–26.12.2020 को विभागीय जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि भवन निर्माण कार्यपूर्ण हो चुका है तथा उपलब्ध कराए गए किस्तों के उपयोगिता को जिलास्तरीय समिति से पारित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को जल्द उपलब्ध कराया जायेगा।

विभागीय पत्रांकः–1492, दिनांकः–20.06.2025 द्वारा क्लस्टर के अद्यतन प्रतिवदेन की मांग की गई। जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा के पत्रांकः–1857, दिनांकः–03.07.2025 द्वारा यह जानकारी दी गई की क्लस्टर का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सामान्य सुविधा केन्द्र के भवन का प्रवेश द्वार के पास रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद होने के कारण मामला सिविल कोर्ट में निर्णय हेतु लंबित है ।

श्री सचिन कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा द्वारा यह बताया गया कि SPV में 46 सदस्य जुड़े है। CFC की जमीन SPV के नाम पर हस्तांतरित की जा चुकि है। सामान्य सुविधा केन्द्र के शेड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सामान्य सुविधा केन्द्र पर आने जाने वाले रास्ते को लेकर सिविल कोर्ट में विवाद लंबित है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा श्री सचिन कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को यह निदेश दिया जाता है कि महाप्रबंधक स्वंय CFC का भौतिक निरीक्षण कर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगें। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा, SPV के सदस्यों के साथ बैठक कर सामान्य सुविधा केन्द्र की व्यवहारिकता एवं संचालन के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ–साथ बैठक की कार्यवाही की प्रति उद्योग निदेशालय को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **सीप बटन कलस्टर, बथना (पूर्वी चम्पारण)** – राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही ज्ञापांक–3624, दिनांक–09.09.2016 द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु परियोजना लागत राशि रू0 323.62 लाख का राज्यांश 90 प्रतिशत अर्थात् रू0 291.26 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पी0एम0ए0 के रूप में IL&FS CDI, Patna का चयन किया गया।

विभागीय ज्ञापांक–504, दिनांक–21.02.2017 द्वारा राशि रू0 29.13 लाख, विभागीय ज्ञापांक–834, दिनांक–27.02.2018 द्वारा राशि रू0 116.50 लाख, विभागीय ज्ञापांकः–3390, दिनांकः–02.09.2019 राशि रू0 116.50 लाख एवं अतिरिक्त राशि रू0 3,58436/– रू0 विभागीय ज्ञापांक–308, दिनांकः–22.01.2021 की राशि एस0पी0भी0 को उपलब्ध कराया गया।

जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–119 दिनांक–18.01.2018 द्वारा 29.75 लाख का मूल अभिश्रव विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी के पत्रांकः–12, दिनांकः–05.01.2019 के द्वारा कुल रू0 21.92 लाख का व्यय विवरणी उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांकः–21.06.2019 की

जिलास्तरीय बैठक में बथना क्लस्टर में कुल रू0 139.29 लाख व्यय किए गए राशि का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण के पत्रांकः–506, दिनांकः–08.07.2025 के अनुसार सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित है एवं अकार्यरत है।

श्री सुभम कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण द्वारा यह बताया गया की SPV के सदस्य छोटे सीप से बटन बनाते है उनको बड़े बटन बनाने के लिए बड़े सीपों से जुड़ी मशीनरी की आवश्यकता है। DPR में जो मशीने है उनकी आवश्यकता नहीं है उस मशीन के स्थान पर नई मशीन की आवश्यकता है जिससे परियोजना लागत बढ़ जायेगी।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा श्री सुभम कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण को यह निदेश दिया जाता है कि वे स्वंय कलस्टर का भौतिक निरीक्षण करेंगे साथ ही SPV के सदस्यों के साथ बैठक कर जमीन की उपलब्धता की स्थिति, CFC की व्यवहारिकता एवं CFC के संचालन संबंधी समस्या के समाधान हेतु स्पष्ट मंतव्य के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेगें। SPV में कितने सदस्य सक्रिय है इसकी पुष्टि करते हुए तथा अगर जरूरत हो तो नये SPV का गठन करना सुनिश्चित करेंगे।

5. **सीप बटन कलस्टर, मेन महेसी (पूर्वी चम्पारण)** – जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–111 दिनांक–05.03.2016 के द्वारा जिलास्तरीय समिति से डी0एस0आर0 अनुमोदित कर राज्यस्तरीय समिति में भेजा गया।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही ज्ञापांक–3624, दिनांक–09.09.2016 द्वारा परियोजना लागत राशि रू0 295.71 लाख एवं पी0एम0ए0 के रूप में IL&FS CDI, Patna की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागीय ज्ञापांकः–505, दिनांकः–21.02.2017 के द्वारा रू0 29.57 लाख, विभागीय ज्ञापांकः–832, दिनांकः–27.02.2018 द्वारा राशि रू0 118.28 लाख, विभागीय ज्ञापांक–3389. दिनांकः–02.09.2019 द्वारा राशि रू0 118.28 लाख एवं अतिरिक्त राशि के रूप में विभागीय ज्ञापांकः–308, दिनांकः–22.01.2021 द्वारा रू0 4.97 लाख विभाग द्वारा एस0पी0भी0 को उपलब्ध कराया गया।

जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी का पत्रांकः–357, दिनांकः–07.12.2017 के द्वारा रू0 29.25 लाख एवं जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी के पत्रांकः–212, दिनांकः–27.07.2019 के द्वारा जिलास्तरीय समिति से राशि रू0 137.58 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनुमोदित कर विभाग को भेजा गया। जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण के पत्रांकः–506, दिनांकः–08.07.2025 के अनुसार सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित है एवं अकार्यरत है।

श्री सुभम कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण द्वारा यह बताया गया की SPV के सदस्य छोटे सीप से बटन बनाते है उनको बड़े बटन बनाने के लिए बड़े सीपों से जुड़ी मशीनरी की आवश्यकता है। DPR में जो मशीने है उनकी आवश्यकता नहीं है उस मशीन के स्थान पर नई मशीन की आवश्यकता है जिससे परियोजना लागत बढ़ जायेगी।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा श्री सुभम कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण को यह निदेश दिया जाता है कि वे स्वंय कलस्टर का भौतिक निरीक्षण करेंगे साथ ही SPV के सदस्यों के साथ बैठक कर जमीन की उपलब्धता की स्थिति, CFC की व्यवहारिकता एवं CFC के संचालन संबंधी समस्या के समाधान हेतु स्पष्ट मंतव्य के साथ एक

विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेगें। SPV में कितने सदस्य सक्रिय है इसकी पुष्टि करते हुए तथा अगर जरूरत हो तो नये SPV का गठन करना सुनिश्चित करेंगे।

6. **ब्रास ब्रांज राम राय, सिंधाडा, वैशाली**– जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के ज्ञापांक–597 दिनांक–24.09.2014 द्वारा जिलास्तरीय समिति से क्लस्टर प्रस्ताव अनुमोदित कर राज्यस्तरीय समिति में भेजा गया।

राज्यस्तीय समिति ज्ञापांकः–2311, दिनांकः–26.07.2017 के द्वारा परियोजना लागत रू0 454.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पी0एम0ए0 के रूप में मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया, गुडगाँव का चयन किया गया।

विभागीय ज्ञापांकः–1010, दिनांकः–14.03.2018 द्वारा राशि रू0 40.91 लाख एवं विभागीय ज्ञापांकः–2384, दिनांकः–21.06.2019 द्वारा राशि रू0 163.64 लाख अर्थात् कुल रू0 204.55 लाख विभाग द्वारा एस0पी0भी0 को उपलब्ध कराया गया।

उद्योग मित्र के पत्रांकः–39, दिनाकः–08.01.2020 द्वारा रू0 34.61 लाख का अनुमानित व्यय अभिश्रव निदेशालय को भेजा गया। राज्यस्तरीय समिति द्वारा दिनांकः–14.06.2021 की बैठक में क्लस्टर को सभी मशीनों की स्थापना करते हुए एक माह के अंदर उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराने हेतु महाप्रबंधक एवं पी0एम0ए0 को निदेशित किया गया। जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पत्रांकः–279, दिनांकः–13.04.2023 के द्वारा क्लस्टर मशीन की अधिष्ठापन के संबंध में सूचित किया गया। विभागीय पत्रांकः–1491, दिनांकः–20.06.2025 द्वारा क्लस्टर के अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

श्री भावेश तिवारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली द्वारा बताया गया की सामान्य सुविधा केन्द्र का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा SPV में 26 सदस्य जुड़े है। CFC में स्थापित मशीने बंद पड़ी है। CFC की जमीन SPV को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि श्री भावेश तिवारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली कलस्टर का भौतिक निरीक्षण करेगें तथा SPV के साथ बैठक कर जमीन की उपलब्धता, CFC की व्यवहारिकता एवं CFC के संचालन संबंधी समस्या के समाधान हेतु स्पष्ट मंतव्य के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. **ब्रास ब्रांज कसेरा टोला, मंझौलिया, बेतिया (प० चम्पारण) –** राज्यस्तरीय समिति के द्वारा परियोजना लागत रू0 550.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पी0एम0ए0 के रूप में मेसर्स ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया गुडगाँव का चयन किया गया। (कार्यवाही ज्ञापांकः–667, दिनांकः–15.02.2018)

विभागीय ज्ञापांक–1011, दिनांकः–14.03.2018 द्वारा राशि रू0 55.00 लाख एवं विभागीय ज्ञापांकः–948, दिनांकः–15.02.2019 द्वारा रू0 220.00 लाख अर्थात् कुल रू0 275.00 लाख विभाग द्वारा उद्योग मित्र के पी0एल0 खाते में जमा कराया गया।

विभागीय पत्रांकः–1495, दिनांकः–20.06.2025 द्वारा क्लस्टर का अद्यतन प्रतिवदेन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जिला उद्योग केन्द्र, प0 चम्पारण के पत्रांकः–369, दिनांकः–28.06.2025 द्वारा उपलब्ध प्रतिवेदन में यह वर्णित है कि सामान्य सुविधा केन्द्र में शेड

निमार्ण लगभग पूर्ण हो चुका है। क्लस्टर के सदस्यों में आपसी विवाद की स्थिति के कारण बैंक खाते से पैसा निकासी पर पूर्व महाप्रबंधक द्वारा रोक लगा दी गई है।

श्री रोहित राज महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया द्वारा यह बताया गया स्वीकृत राशि 550 लाख में से उद्योग मित्र के द्वारा कुल 120 लाख को SPV हस्तांतरित किया गया जिसमें CFC के शेड निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 55 लाख द्वितीय किस्त के रूप में 19.8 लाख की राशि अर्थात शेड के लिए कुल राशि–74.8 लाख हस्तांतरित की गयी। मशीन क्रय के लिए उद्योग मित्र द्वारा 21.03 लाख तथा 24.01 लाख की राशि SPV को हस्तांतरित की गयी। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मशीनरी क्रय हेतु निविदा की कार्यवाही की गयी जिसमें 03 वेंडर L1 पाये गये। सोहम इम्पैक्ट राजकोट, गुजरात को मशीन क्रय हेतु 21.03 लाख की राशि अग्रिम भुगतान की गयी। इस बीच शेड निर्माण से संबंधित उस समय के तत्कालीक SPV के अध्यक्ष के द्वारा 92 लाख रूपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा की गयी तथा यह दावा किया गया की शेड निर्माण में मेरा 17 लाख रूपये लगा है। इस बात को लेकर SPV के सदस्यों में आपसी विवाद की स्थिति बन गयी। फलस्वरूप तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा SPV के खाते के निकासी पर रोक लगा दी गयी।

समिति का निर्णय :– समिति के द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि श्री रोहित राज, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया भौतिक निरिक्षण कर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। इस प्रतिवेदन में जमीन उपलब्धता की स्थिति, विवाद का निपटारा, उद्योग मित्र, PMA तथा SPV के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर सामान्य सुविधा केन्द्र के संचालन हेतु स्पष्ट मंतव्य उद्योग निदेशालय को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- राज्य स्तरीय समिति द्वारा श्रीमती प्रिती कुमारी, सहायक उद्योग निदेशक (कलस्टर) को कारण पृच्छा करते हुए वेतन पर रोक की अनुशंसा की जाती है।
- हर 15 दिनों के अन्तराल में राज्य स्तरीय समिति की बैठक आहुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- संबंधित महाप्रबंधक हर 15 दिनों पर कलस्टर का अद्यतन प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17.11.25					13.11.25
प्रोजेक्ट मैनेजर जीविका, बिहार, पटना।	सहायक निदेशक कलस्टर, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0 डी0एफ0ओ0,पटना।	उप सचिव उद्योग विभाग बिहार,पटना।	उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–...............

ज्ञापांक–...............

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास कार्यालय, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, योजना, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन, आयडा, पटना/कार्यकारी निदेशक (परियोजना), बियाडा, पटना/निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, हाजीपुर/सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, भारत सरकार/अवर सचिव, प्रशाखा–03(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, लखीसराय, प0 चम्पारण, वैशाली, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, पटना एवं मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सर्वश्री सिलाव खाजा, औद्योगिक स्वावलंबी, सहकारी समिति लि०, सिलाव, नालंदा/सर्वश्री कन्हैयागंज, झूला कलस्टर प्रा0 लि0, कन्हैयागंज, नालंदा/सर्वश्री बथना सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, बथना, पूर्वी चम्पारण/सर्वश्री मेन मेहसी, सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेन मेहसी, पूर्वी चम्पारण/मेसर्स राम राय औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0, रामराय सिंधाडा, महुआ, वैशाली/सर्वश्री कसेरा टोला औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0, कसेरा टोला, बेतिया पश्चिम चम्पारण/मेसर्स लखीसराय राईस मिल कलस्टर प्रा0लि0, लखीसराय/मसर्स बेनू शिल्प जीविका महिला उत्पाद समूह, भटनी बाजार, मधेपुरा/मेसर्स तिरहूत महिला जीविका उत्पादक समूह, मुजफ्फरपुर/मेसर्स सोपान PVC एवं रवर सीट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–17-11-25

ज्ञापांक–3255

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। साथ ही जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, लखीसराय, प0 चम्पारण, वैशाली, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, पटना एवं मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, प0 चम्पारण, वैशाली, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, पटना एवं मुजफ्फरपुर को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

17/XI/25

उप सचिव,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

(3)